फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम – नसीराबाद

[illegible] बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा – ~~212 रा.का.अधि. 1965~~ [illegible]

प्रकरण संख्या 17 सन – 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3.7.20	अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक 23.7.20 को पेश हो। [signature]	1258-92 06-7-2020
23.7.20	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी नं. 13 स्वयं उपस्थित होकर स्वीकारोक्ति का मुचलका पेश किया। शेष पक्षकारान जाहिर किया कि प्रार्थी [illegible] शेष अप्रार्थीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं विधिवत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रा.पत्र. पर वकील प्रार्थी को सुना गया। निर्णय वास्ते आदेश दिनांक 27.7.20 को पेश हो। [signature]	[illegible]
27.7.20	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थीगण की ओर से आज भी कोई उपस्थित नहीं। आदेश सुनाया गया, पृथक से लिखा है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार [illegible] व दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : – 17 / 2020

उनवान

1. अल्का बागडी पत्नी आदित्य बागडी जाति माहेश्वरी नि0 8 / 1 / 1 बी अलीपुर पार्क रोड, कोलकता (पश्चिम बंगाल) जरियें मुख्तयार श्री अरूण शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राहमण म0न0 3576, अजमेर रोड नसीराबाद (नितेश यादव)

–– प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री अश्विनी धुन्ना

बनाम

1. नौरत पुत्र सुवा, जाट नि0 गादेरी, नसीराबाद,
2. मैनी पत्नी अजमाल,
3. महमूदा बेगम पत्नी हमीद बेग,
4. रजिया बेगम पत्नी जलाल बेग मुसलमान नि0 बीर चक्का अजमेर,
5. किशनलाल,
6. गोपाल,
7. नन्दू,
8. बोदूलाल,
9. मन्ना,
10. मानी,
11. रामेशी,
12. सुरता पि0 सुखदेव जाति गुर्जर नि0 गादेरी, नसीराबाद,
13. मदन पुत्र दयाल जाति अहीर नि. गादेरी,
14. पूरणचन्द पुत्र देवाराम,
15. हरिकिशन पुत्र चन्द्रा जाट नि0 गादेरी, नसीराबाद,
16. हरिराम वपुत्र रामधन जाट नि0 गादेरी, नसीराबाद,
17. कानी ना.बा. पुत्री गंगाराम जाति गुर्जर नि. गादेरी, नसीराबाद प्राकृतिक संरक्षक माता गुलाब देवी,
18. गुलाब देवी पत्नी गंगाराम, गुर्जर नसीराबाद,
19. चन्द्रा पुत्र भूरा,
20. देवकरण,
21. देवा पि0 भूरा जाति गुर्जर नि. गादेरी, नसीराबाद,
22. निर्मला पुत्री सेवाराम जाति गुर्जर नि0 गादेरी, नसीराबाद,
23. पायल ना.बा.
24. पिंकी ना.बा पुत्री गंगाराम जाति गुर्जर, नि0 गादेरी, नसीराबाद प्राकृतिक संरक्षक माता गुलाब देवी,
25. मजू पुत्री सेवाराम जाति गुर्जर नि. गादेरी, नसीराबाद,
26. मतिया पुत्री सेवाराम,
27. रसाली पत्नी सेवाराम,
28. संजू ना.बा.

––2

उपखण्ड अधिकारी,
नसीराबाद (अजमेर)

...नाबा पुत्री गंगाराम जरियें संरक्षक माता गुलाब देवी,

... सेवाराम,
... पुत्र भूरा, जाति गुर्जर नि. गादेरी, नसीराबाद
... पुत्र छोगा जाति जाट नि. गादेरी, नसीराबाद
34. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,

--- अप्रार्थीगण :– 13 स्वंय उपस्थित शेष अनुपस्थित
34 जरियें राज0 पैरोकार

35. गोरधन पुत्र सुगना जाति जाट नि0 ग्राम गादेरी, नसीराबाद

--- प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :– अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0 राज0 अधि0 1956

–: आदेश :–   दिनांक :– 27.7.20

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गादेरी तहसील नसीराबाद के खसरा नम्बर 11, 12, 15, 16, 16/2650, 16/3046, 17, 17/2651, 3107/10, 3108/10, 3109/10, 3110/10, 3112/10, 14, 14/2967 रकबा क्रमशः 0.30, 0.51, 0.43, 0.22, 0.29, 0.26, 0.24, 0.08, 0.0465, 0.0465, 0.0465, 0.0465, 0.03, 0.22, 0.20 की आराजी आवेदनकर्ता की खातेदारी है। आराजी मुतनाजा के सीमाज्ञान के लिये आवेदनकर्ता द्वारा नायब तहसीलदार श्रीनगर को आवेदन पत्र पेश किया गया। जिस पर सीमाज्ञान करवाने के आदेश दिये गये। व पटवारी हल्का गादेरी द्वारा दिनांक 18.06.2020 को सीमाज्ञान किया गया। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट पेश की कि उक्त आराजी मे से खसरा नम्बर 16/2650, 16/3040, 17/2651, 14/2967, 11 पर राजस्व नक्शे अनुसार मेड नही होकर पडौसी काश्तकार द्वारा अपने खेतों में सम्मिलित कर लिया है अतः मौके पर विवाद होने के कारण सीमाज्ञान करवाया जाना सम्भव नही है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर दखल व अतिचार करने पर आमादा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी के आदेश पारित करावे।

अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 13 ने प्रकरण में स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र स्वयं सिद्व करे। शेष अप्रार्थीगण बावजुद तामीली उपस्थित नही रहे। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। आराजी मुतनाजा खाता संख्या 16/326 प्रार्थी की एकल खातेदारी व खाता संख्या17/284 प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 35 की संयुक्त खातेदारी की है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी का सीमाज्ञान करवाया गया। प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण व उनके मध्य खेत की सीमा का विवाद है एवं अप्रार्थीगण उनकी सीमा पर विवाद करने पर आमादा है। पत्थरगढी करने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के खेतो की सीमा की स्थिति स्पष्ट हो जायेगी एवं विवाद समाप्त होगा। आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी कराने से अप्रार्थीगण के हित प्रभावित नही होगे। अप्रार्थी स0 13 ने प्रकरण में सहमती पेश की है। शेष अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। अप्रार्थीगण को उक्त पत्थरगढी से कोई आपत्ति है तो दौराने कार्यवाही प्रस्तुत कर सकते है।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला अजमेर)

---3

अतः ग्राम ग्राम गादेरी तहसील नसीराबाद के खसरा नम्बर 11, 12, 15, 16, 16/2650, 16/3046, 17, 17/2651, 3107/10, 3108/10, 3109/10, 3110/10, 3112/10, 14, 14/2967 रकबा कमशः 0.30, 0.51, 0.43, 0.22, 0.29, 0.26, 0.24, 0.08, 0.0465, 0.0465, 0.0465, 0.0465, 0.03, 0.22, 0.20 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद आवेदनकर्ता व अप्रार्थीगण की विधिवत उपस्थिति में उक्त आराजी की पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.08.06 18:09:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: